पत्रांक–16 / औषधि (स्थापना)–01–09 / 2025 / 239 (16)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक आयुष,
आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

रांची, दिनांक– 12/10/2026

विषयः–विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–227(16) दिनांक–05.10.2026 के आलोक में राज्य के लिए बहु–चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा) आधारित एकीकृत औषधि केंद्रों "अबुआ दवाखाना" की स्थापना एवं संचालन हेतु कुल 22,35,00,000/–(बाईस करोड़ पैंतीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–80(16) दिनांक–30.05.2026 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–227(16) दिनांक–05.10.2026 के आलोक में राज्य के लिए बहु–चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा) आधारित एकीकृत औषधि केंद्रों "अबुआ दवाखाना" की स्थापना एवं संचालन हेतु कुल 22,35,00,000/–(बाईस करोड़ पैंतीस लाख) रुपये मात्र आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।
3. इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
4. व्यय का विकलन राज्य योजना अन्तर्गत बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–28–एकीकृत औषधि केंद्र–अबुआ दवाखाना–03–प्रशासनिक व्यय–36–चिकित्सकीय आपूर्ति (विपत्र कोड 20 एस 2210–06–101–28–00–03–36) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।
5. आवंटित राशि का व्यय सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के आलोक में सभी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा।
6. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि0, दिनांक–17.04.1998 एवं समय समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों/परिपत्रों के आलोक में राँची कोषागार, राँची से की जायेगी।
7. निदेशक आयुष, आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–01) के नियम–473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

(ध्रुव प्रसाद)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(संदीप कुमार दोराईबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय प्रधान महालेखाकार एवं विभाग को समर्पित करेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–16 / औषधि (स्थापना)–01–09 / 2025 / 239(16) राँची, दिनांक– 12/10/2026

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची।
3. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव।
4. निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची।
5. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी।
6. विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव।
7. प्रभारी पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(संदीप कुमार दोराईबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

पत्रांक–16 / औषधि (स्थापना)–01–09 / 2025 / ..252(16)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–227(16) दिनांक–05.10.2026 में अंकित निदेश को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया जाता है:–

स्वीकृत्यादेश की कंडिका संख्या	पूर्व में अंकित निदेश	संशोधित निदेश
04	उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक आयुष, आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे।	उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **उप निदेशक (यूनानी), आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची** होंगे।
09	उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 / वि० दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों / परिपत्रों के आलोक में राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।	उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 / वि० दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों / परिपत्रों के आलोक में **डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची** से की जाएगी।

साथ ही, विभागीय आवंटनादेश सं०–239(16) दिनांक–12.10.2026 में अंकित निदेश को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया जाता है:–

आवंटनादेश की कंडिका संख्या	पूर्व में अंकित निदेश	संशोधित निदेश
06	आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 / वि० दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों / परिपत्रों के आलोक में राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।	उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **उप निदेशक (यूनानी), आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची** होंगे एवं उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 / वि० दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों / परिपत्रों के आलोक में **डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची** से की जाएगी।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

3. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–16 / औषधि (स्थापना)–01–09 / 2025 / 252(16) राँची, दिनांक– 27.10.26

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची ।
2. उपायुक्त, राँची।
3. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. निदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची।
5. निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची।
6. उप निदेशक (यूनानी), आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची।
7. कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची।
8. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
9. प्रभारी पदाधिकारी, PMU कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(संदीप कुमार दोराईबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 16-Au-E-1-09/25/239(16) दिनांक - 27-Oct-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100610128000336 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06 - लोक स्वास्थ्य 101 - रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 28 - एकीकृत औषधि केंद्र-अबुआ दवाखाना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	79623	DRNMED281 DR NUZHAT SULTANA DEPUTY DIRECTOR, UNANI 36 - चिकित्सकीय आपूर्त्ति	223,500,000.00 रुपये बाइस करोड पैतीस लाख

State Scheme : INTEGRATED MEDICAL STORES-ABUA DAWAKHANA(2265)
Centeral Scheme : NA

योग: 223,500,000.00

क्रमिक योग: रुपये बाइस करोड पैतीस लाख

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 27/10/2026

वित्तीय वर्ष **2026-27** में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 06 - लोक स्वास्थ्य & 101 - रोगों का निवारण तथा नियंत्रण & 28 - एकीकृत औषधि केंद्र-अबुआ दवाखाना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100610128000336	Total
					चिकित्सकीय आपूर्त्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1	Doranda	DRNMED281	Dr Nuzhat Sultana	Deputy Director, Unani	₹22,35,00,000.00 (79623)	₹22,35,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- **₹22,35,00,000.00 (** बाइस करोड पैंतीस लाख **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY